अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बी.ई. तथा एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम (द्वितीय चरण), सत्र 2011–12

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं पीईपीटी–2011/एमईटी–2011 (जो भी लागू हो) के घोषित परिणामों के आधार पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार (मेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची के समस्त उम्मीदवार) एवं अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी ।

//समय–सारणी//

क्र.	प्रक्रिया	बी.ई. (पीईपीटी 2011 आधारित)	बी.ई. (अर्हकारी परीक्षा के आधार पर)	एमबीए (एमईटी 2011 आधारित)	एमबीए (अर्हकारी परीक्षा के आधार पर)
1.	**ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)**	12/08/2011 से 23/08/2011 की सांय 3 बजे तक	29/07/2011 से 24/08/2011 की सांय 3 बजे तक	10/08/2011 से 18/08/2011 की सांय 3 बजे तक	11/08/2011 से 19/08/2011 की सांय 3 बजे तक
2.	**दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)**	12/08/2011 से 23/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	29/07/2011 से 24/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	10/08/2011 से 18/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	11/08/2011 से 19/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)
3.	**इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (Online Preference Selection, Choice Filling and Locking)**	12/08/2011 से 23/08/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों पर सायं 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	12/08/2011 से 24/08/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों पर सायं 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	10/08/2011 से 18/08/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों पर सायं 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	11/08/2011 से 19/08/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों पर सायं 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)
4.	**आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति व प्रवेश (Online availability of Allotment Letter and Reporting at Allotted Institution & Admission)**	25/08/2011 से 29/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	26/08/2011 से 30/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	19/08/2011 से 26/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	20/08/2011 से 27/08/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)

➢ इस काउंसिलिंग में निम्न उम्मीदवार भाग ले सकते हैं –

- जिन्होंने व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं पीईपीटी–2011/एमईटी–2011 (जो भी लागू हो) के घोषित परिणामों के आधार पर प्रथम चरण की काउंसिलिंग में भाग न लिया हो।

- जिन्होंने व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं पीईपीटी–2011/एमईटी–2011 (जो भी लागू हो) के घोषित परिणामों के आधार पर प्रथम चरण की काउंसिलिंग में भाग लिया था किन्तु आवंटन प्राप्त नहीं हुआ अथवा प्रवेश नहीं लिया।

➢ जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पीईपीटी–2011/एमईटी–2011 (जो भी लागू हो) में सम्मिलित नहीं हुए हैं वे अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं।

➢ **व्यापमं की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित** अनारक्षित (UR) श्रेणी (बिना वर्ग) के अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराना है, वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत सीधे तीसरे स्टेप अर्थात् ''इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर, प्राथमिकताक्रम को लॉक'' कर सकते हैं।

➢ व्यापमं की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी आरक्षित श्रेणी/वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पूर्व में अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराया है केवल उन्हें ही **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक है।**

➢ अर्हकारी परीक्षा के आधार पर सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक है।**

➢ **सर्वप्रथम व्यापमं की प्रवेश परीक्षाओं पीईपीटी–2011/एमईटी–2011 (जो भी लागू हो) के आधार पर इस काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट से आवंटन किया जावेगा तत्पश्चात रिक्त रह गई सीटों पर अर्हकारी परीक्षा के आधार पर इस काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट से आवंटन किया जावेगा।**

➢ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये ₹ 480/– (₹ 30/– पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा। उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन–रिफण्डेबल) होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण की काउंसलिंग में पंजीयन करा लिया है तथा अब उन्हें केवल पोर्टल शुल्क ₹ 30/– देय होगा।

➢ ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु, अनारक्षित श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को आंशिक शिक्षण शुल्क ₹ 5100/– (₹ 100/–पोर्टल चार्जेस सहित) तथा मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अभ्यर्थियों को शुल्क ₹ 1100/– (₹ 100/–पोर्टल चार्जेस सहित) का भुगतान करना होगा।

➢ जो अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे तथा च्वाईस लॉक की थी तथा उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ/आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं लिया है/प्रवेश उपरांत ऑनलाइन निरस्त करवा लिया है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को च्वाईस लॉक करते समय आंशिक शिक्षण शुल्क ₹ 1100/– (₹100/–पोर्टल चार्जेस सहित) का भुगतान करना होगा।

➢ अधिकृत **सहायता केन्द्रों (Help Centres)** (जोकि मध्यप्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) की जिसकी सूची वेबसाइट वेबसाईट **www.dtempcounselling.org** तथा **www.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।

➢ **प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया** की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।

○ सम्पर्क फोन नं. 0755–4019025

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश